एडीजी-परिपत्र संख्या- 5 / 2017

चन्द्र प्रकाश
आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध)
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक : अक्टूबर 31 , 2017

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत हैं कि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 464 (ख) में विशेष प्रकार के शौर्य प्रदर्शन व सराहनीय कार्य के लिए पुस्कार स्वीकृत किये जाते हैं। उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-31 के प्रस्तर-464 से 471 तक में पुरस्कार से सम्बन्धित निर्देश विहित हैं।

2. पुलिस कर्मियों को पुरस्कार प्रदान किये जाते समय पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-31 के अन्तर्गत प्रस्तर-466 में निहित सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। निरीक्षकों एवं उप निरीक्षकों को दिये जाने वाला पुरस्कार तुच्छ प्रकृति का नहीं होना चाहिये। पुरस्कार का मापदण्ड वेतन से यांत्रिक रूप से अनुपातिक नहीं होना चाहिये और यदि उसका मुख्य श्रेय किसी आरक्षी या अवर अधिकारी का हो तो पुरस्कार का बड़ा भाग उसी को मिलना चाहिये। उच्चतर अधिकारी द्वारा किया गया अच्छा कार्य उसके चरित्र पंजिकाओं में उत्तम प्रविष्टियां कर के मान्य किया जायेगा। सामान्य एवं अच्छे कार्यों के लिए किसी भी श्रेणी के अधिकारी को कोई पारितोषिक न दिया जाय, लेकिन केवल विशेष गुण के विशेष कार्यों के लिए, जैसे विशेष अवसर पर अच्छी गिरफ्तारी, अच्छी खोज या किसी विशेष अवसर पर अच्छी सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किये जाने चाहिये। साधारण गिरफ्तारी के लिए किसी भी पुलिस कर्मी को कोई भी पारितोषिक न दिया जाय, जैसा कि पुलिस रेगुलेशन के पैरा-466(3) में दिया गया है।

3. पुरस्कार प्रदान करना एक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसे अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाय, जिससे इसकी महत्ता बनी रहे।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि पुरस्कार प्रदान करने सम्बन्धी उपरोक्त बिन्दुओं से आप स्वयं अवगत हों एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दें। उक्त सम्बन्ध में शासनादेश, पुलिस रेगुलेशन एवं इस परिपत्र में निहित प्राविधानों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगें।

ससद्भाव,

भवदीय

31/10/17
(चन्द्र प्रकाश)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।